न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक
मैनुअल नं. 11/रेगूलर/2025 (GCMS No. 2025/88)	14.07.2025	01.12.2025

सरकार जर्ये प्रवर्तन अधिकारी
जिला रसद कार्यालय, बून्दी।

– प्रार्थी

बनाम

श्री अंकित जिन्दल पुत्र चन्द्रप्रकाश गुप्ता,
उचित मूल्य दुकानदार, देई
तहसील नैनवा, जिला बून्दी (राज.)

– अप्रार्थी

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार (रसद)
अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 न्यायालय में प्रस्तुत कर जब्तशुदा कुल 1327.25 किलोग्राम गेहूँ के निस्तारण हेतु निवेदन किया है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) बून्दी से क्षेत्राधिकार अनुसार प्रार्थना पत्र हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर प्रविष्टि पंजिका क्रमांक 11/2025 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No. 2025/88 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी दिनांक 08.09.2025 को जर्ये अधिवक्ता उपस्थित न्यायालय आया, किन्तु आगामी नियत पेशी पर अप्रार्थी के इस न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से दिनांक 17.11.2025 को अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

तत्पश्चात बहस एकपक्षीय पेरोकार सरकार सुनी गयी ।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि दिनांक 15.10.2024 को अंकित जिन्दल पुत्र चन्द्रप्रकाश गुप्ता उचित मूल्य दुकानदार, देई तहसील नैनवां की दुकान के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान दुकान पर उपलब्ध खाद्य सुरक्षा गेहूं के स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने पर दुकान में कुल 32 कट्टे में 1600 किलोग्राम गेहूं पाया गया, जो कि पोस मशीन कोड संख्या 2991 में दर्ज स्टॉक 272.75 किलोग्राम से 1327.25 किलोग्राम अधिक था। अप्रार्थी द्वारा उक्त अधिक गेहूं के संबंध में संतोषप्रद उत्तर नहीं देने पर उक्त अधिक मात्रा में पाये गये 1327.25 किलोग्राम गेहूं को कट्टों सहित जब्त कर केवीएसएस देई (13071) प्रतिनिधि एवं उचित मूल्य दुकानदार प्रकाशचन्द वर्मा पुत्र देवीराम वर्मा निवासी देई तहसील नैनवां को संलग्न फर्द सुपुर्दगीनामे के अनुसार सुरक्षा हेतु इस शर्त पर सुपुर्द किया गया कि वह कुल 1327.25 किलोग्राम गेहूं को अपने पास सुरक्षित रखेगा तथा सक्षम न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर अच्छी स्थिति में प्रस्तुत करेगा। अतः जब्तशुदा 1327.25 किलोग्राम गेहूं को राजसात करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस पेरोकार सरकार पर मनन किया, जिससे ज्ञात हुआ है कि दिनांक 15.10.2024 को उचित मूल्य दुकान, देई में स्टॉक में दर्ज सामग्री की मात्रा मौके पर भौतिक सत्यापन के दौरान उपलब्ध मात्रा से अधिशेष पायी गयी। अप्रार्थी की उक्त दुकान में शेष स्टॉक 272.75 किलोग्राम से अधिक 1327.25 किलोग्राम अधिक गेहूं अवैध रूप से रखा पाया गया। ऐसे में अवैध रूप से भण्डारित 1327.25 किलोग्राम गेहूं को जब्त कर उचित मूल्य दुकानदार श्री प्रकाशचन्द वर्मा को सुपुर्द किया गया।

यहां उल्लेखनीय है कि प्रकरण इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र में अंकित आक्षेपों के संबंध में अपना पक्ष रखने के लिए जर्ये नोटिस तलब किया गया था। अप्रार्थी जर्ये अधिवक्ता दिनांक 08.09.2025 को नियत पेशी पर न्यायालय में उपस्थित आया किन्तु अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश नहीं किया जाकर जवाब हेतु अवसर चाहा गया। इसके बाद आगामी नियत पेशियों पर अप्रार्थी न तो स्वयं और न ही वकालतन उपस्थित न्यायालय आया और न ही उसकी ओर से जवाब पेश किया गया। गेहूं आवश्यक वस्तु होने से उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा राशनकार्ड धारकों को अनुदानित दर पर निर्धारत मात्रा में राज्य सरकार के निर्देशानुसार वितरित किया जाकर स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी की उचित मूल्य की दुकान पर स्टॉक रजिस्टर में दर्ज मात्रा से अधिक मात्रा में गेहूं का मिलना, उक्त सामग्री को समय पर उपभोक्ताओं को वितरण

न करके उचित मूल्य से अधिक दर पर अन्यत्र बेचने की संभावना एवं कालाबाजारी को इंगित करता है। अप्रार्थी के उक्त कृत्य से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी आदेश, राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंधन हुआ है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा स्टॉक से अधिक मात्रा में गेहूं का अवैध रूप से भण्डारण का कार्य करना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर जप्तशुदा 1327.25 किलोग्राम गेहूं को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी, बून्दी को आदेशित किया जाता है कि वह जप्तशुदा 1327.25 किलोग्राम गेहूं को नियमानुसार उचित माध्यम से विक्रय करवाकर प्राप्त राशि राजकोष में जमा करवावें। उक्तानुसार तत्काल पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसले में शुमार की जाकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 01.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी